

Form No. III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

④

आज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर
 सरकार बनाम चर्मपाल 510 गंगाराम कुपडा

क्रिस्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत

सं. 76

सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशयंत्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
17/01/2018	<p>पटवारी हल्का <u>12BLMA</u> ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. <u>12BLMB</u> के मुरब्बा नं. <u>217</u> के <u>420</u> के <u>0.506</u> बीघा, भूमि रकबा राज है जिस पर श्री <u>चर्मपाल</u> पुत्र श्री <u>गंगाराम</u> जाति <u>कुपडा</u> सा. <u>12BLMB</u> ने अतिक्रमण कर सम्बत् <u>2074</u> फसल <u>रबी</u> नाजायज काश्त कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक <u>20/02/2018</u> को पेश है।</p>	<p><u>गंगाराम III</u> <u>25/1/18</u> <u>कुर्की आदेश नम्बर 112</u> <u>25/1/18</u></p>
20.2.18	<p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	

तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

सं० 76/18

न सरकार बनाम सुभाषी गंगाराम वर्ष 2018

करण दिनांक 25-1-18 निर्णय दिनांक 20-2-18

न उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

हुकम या कार्यावाही का इतिशियलस जत्र

पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया

१-18

पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सख्त 2074 रकम में भूमि रकबा राज दर्ज है।

अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का

12B.m.A. का प्रतिवेदन दिनांक 25-1-18 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी

जति सुभाषी निवासी 12B.m.B. को

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक

12B.m.B. मु.नं. 217/1920 कुल 50.6 है 0 सरकारी

भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काशत करने पर अतिकर्मी

घोषित करते हुए काशतशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 10 गुणा राशि 40

शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0

12B.m.A. को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-2-18 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)

श्री विजयनगर

'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 45 की क्रम सं.

12 दिनांक 12-3-18 को 40

दर्ज किया गया।

ता० १०/१०/१०